संख्या-164/2018/2532/26-3-2018-3(3)/2016

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई 2018

विषय:- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमों, उपलब्धियों तथा जारी समय-सारिणी का वर्ष 2018-19 में प्रचार-प्रसार के विज्ञापन का प्रकाशनोपरांत व्यय के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1387/स0क0/ शिक्षा-अ/3/93/2018-19, दिनांक-11.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख के सापेक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 05 समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, एवं नवभारत टाईम्स तथा टाईम्स आॅफ इण्डिया) में विज्ञापन पर होने वाला कुल व्यय **रूपया-रू0-50,55,879.55/-** (रूपये पचास लाख पचपन हजार आठ सौ उनासी और पचपन पैसे मात्र) की धनराशि की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-129/2018/ 1236/26-3-2018-3(03)/2016, दिनांक-26.04.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटीकरण योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-42 में धनराशि रूपया-400.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित अंतरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 05 समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, एवं नवभारत टाईम्स तथा टाईम्स आफ इण्डिया) में विज्ञापन पर होने वाले कुल रू0-50,55,879.55/-(रूपये पचास लाख पचपन हजार आठ सौ उनासी और पचपन पैसे मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाआंे पर व्यय के लिये न किया जाय।

2.स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार हेतु 05 समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, एवं नवभारत टाईम्स तथा टाईम्स आॅफ इण्डिया) में विज्ञापन पर होने वाला व्यय पर ही खर्च किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-164/2018/2532(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।